बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 2024 है।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला–पॉप्लर प्रजाति के पौधों के लिए योजना के तहत् पॉप्लर पौधशाला व्यवसाय से जुड़ने का सुनहरा अवसर

योजना का उद्देश्य

- कृषि वानिकी में पॉप्लर वृक्षारोपण के लिए आवश्यकता के अनुरूप पौधा तैयार करना।
- ग्रामीणों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना।
- राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण।

योजना में दिये जाने वाले लाभ

- चयनित किसानों को पॉप्लर के पौधों की कटिंग 10,000 (दस हजार) प्रति एकड़ के हिसाब से निःशुल्क उपलब्ध।
- लाभुकों को पौधों की उत्तरजीविता के आधार पर निर्धारित राशि कुल तीन किस्तों में उपलब्ध।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह राशि 30 रूपये प्रति पौधा (औसत)।

योजना में शामिल होने के लिए पात्रता

- आवेदक की अपने नाम से या लीज पर (कम–से–कम तीन वर्ष तक के लिए) जमीन।
- जमीन समतल, ऊँची एवं जल–जमाव मुक्त।
- पूंजी के रूप में न्यूनतम 20,000/– (बीस हजार रूपये) प्रति एकड़ राशि बैंक मे जमा।
- जमीन पर सिंचाई की समुचित सुविधा।
- आवंटन के लिए प्रति व्यक्ति जमीन की सीमा आधा एकड़ से तीन एकड़।

योजना में शामिल जिलें

- उत्तर बिहार के सभी जिलें।

आवेदन कहाँ करें

- स्थानीय वन क्षेत्र कार्यालय या वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय।
- आवेदन मे पौधशाला मे उगाए जाने वाले पौधों का रोपण स्थल संबंधित पूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
- आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजात
- भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र/अद्यतन लगान रसीद/लीज डीड की छायाप्रति।
- पूंजी के रूप में न्यूनतम 20,000/– (बीस हजार रूपये) प्रति एकड़ (आवेदित रकवा) राशि बैंक मे जमा होने के प्रमाण स्वरुप बैंक पासबुक की अद्यतन छायाप्रति।

विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें

- संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय
- ई–मेल से जानकारी प्राप्त करने के लिए hariyalimission@gmail.com पर मेल करें।
- अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें : 0612–2226911 (कार्यालय अवधि में)

मुख्यमंत्री निजी पॉप्लर पौधशाला स्थापित करने हेतु आवेदन प्रपत्र

1. वन प्रमंडल का नाम :– ....   2. जिला का नाम :– ....
3. वन प्रक्षेत्र इकाई का नाम :– ....   4. प्रखंड का नाम :– ....
5. आवेदक का नाम :– ....
6. पिता/पति का नाम :– ....
7. पेशा :– ....
8. जन्म तिथि :– ....
9. स्थायी पता :– ....
....
10. वर्तमान पत्राचार का पता :– ....
....
(दूरभाष/मोबाईल नं0 अंकित करें) ....
11. ई–मेल (यदि हो) :– ....
12. पौधशाला स्थल की विवरणी :–

क्र0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा (एकड़ में)	रसीद सं0/वर्ष

13. पौधशाला हेतु उपलब्ध सिंचाई सुविधा : ....
(सुविधा की विवरणी एवं आवेदित प्लॉट से दूरी अंकित करें)
14. पौधशाला की प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था : ....
15. प्रशिक्षित है/प्रशिक्षण की आवश्यकता है (कृपया √ करें) :
16. पौधशाला संचालन का अनुभव (प्रमाण संलग्न करें) : ....
17. पौधशाला मे उगाए जाने वाले पौधों का रोपण स्थल संबंधित जानकारी : ....
18. बैंक में पूंजी की स्थिति : ....
(प्रमाण के रूप में पासबुक की छायाप्रति संलग्न करें)
19. बैंक खाता विवरणी :–

बैंक खाता नं0	बैंक का नाम एवं शाखा	I.F.S.C. कोड

20. घोषणा : मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही है। पौधशाला आवंटित होने पर मैं पूरी मेहनत एवं लगन से पौधशाला स्थापित कर इसमें उच्च गुणवत्ता वाले पॉप्लर के पौधे तैयार करूगाँ/करूँगी एवं मिशन/वन विभाग के सभी–नियमों/निर्देशों का अनुपालन करूंगा/करूंगी। कालान्तर में उक्त सूचना गलत साबित होने पर मेरे पौधशाला आवंटन को रद्द किया जा सकता है तथा राशि की वसूली के लिये कार्रवाई की जा सकती है।

संलग्न अभिलेख की विवरणी
1.
2.
3.

आवेदक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम
तिथि के साथ

PR No.- 014876 (Forest)D. 2024-25